



न्यायालय आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग केन्द्र उज्जैन

प्रकरण क्रमांक

: 2002 निगरानी

R. 2416-IV/2002

दिनांक 23-9-02 को
को दिनांक बाह्य कोष
द्वारा उज्जैन केन्द्र
पर भेजा।

क
23-9-02
केन्द्र

3
23.9.2002

फूलसिंह आत्मज हरनाथसिंह संधव
निवासी ग्राम बालाखेड़ा तहसील सोनकच्छ जिला
देवास -----आवेदक

विह्वल

- 1- चन्दरसिंह पिता हरनाथसिंह संधव
निवासी ग्राम बालाखेड़ा तहसील टौक खुर्द -
जिला देवास 140प्र0 ।
- 2- सौरभबाई पुत्री हरनाथसिंह पति सोबालसिंह संधव
निवासी ग्राम हातुगुराडिया तहसील बागली 0
- 3- बेगमबाई पुत्री हरनाथसिंह पति भेरूसिंह संधव
निवासी ग्राम आगुरली तहसील बागली 0
- 4- सुगनबाई पुत्री हरनाथसिंह पति कमलसिंह
निवासी बालाखेड़ा तहसील टौकखुर्द
- 5- रत्नाबाई पुत्री हरनाथसिंह पति हरिसिंह संधव
निवासी ग्राम रालामण्डल तहसील टौक खुर्द
- 6- धापुबाई पुत्री हरनाथसिंह पति विक्रमसिंह संधव
निवासी ग्राम हदरपुर तहसील बागली 0
- 7- कंचनबाई विधवा हरनाथसिंह संधव
निवासी बालाखेड़ा तहसील टौक खुर्द जिला देवास
- 8- चिन्ताबाई पुत्री हरनाथसिंह पति विक्रमसिंह संधव
निवासी ग्राम देहरिया तहसील टौकखुर्द जिला
देवास 140प्र0 -----प्रतिवाचीगण

पुनरीक्षा आवेदन अन्तर्गत धारा 50 मु0राजस्व संहिता

माननीय महोदय

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला देवास
के आदेश दिनांक 18-9-2002 प्रकरण क्रमांक 29:2001-2002 निगरानी से

R 2416-IV / 2002 के लिये
प्रस्तावित / संशोधित

21.10.2016

Not present

अनुसूची की अंतर्गत क्षेत्रों में
आवक की अंतर से ही निर्देश
व्यक्त आमेनापक को उपस्थित लेना
प्रमाण नहीं, अथवा का अनुसूची
किया गया / अनुसूची से ही किया
जाला है। प्रमाण नहीं, अथवा के
कारण समाप्त किया जाता है।

अथवा

[Handwritten signature]

[क. 1. 5.]